रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2019/माघ 29, 1940
No. 56] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2019/MAGHA 29, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

सं. 74/2015–20

विषयः अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से लिए गए रेड सैंडर्स वुड की निर्यात नीति – निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

सं. 01/91/180/03/एम–19/ईसी.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्द्वारा अधिसूचना सं. 56/2015–20 दिनांक 18 फरवरी, 2019 के तहत अधिसूचित संशोधित निर्यात नीति के अनुसार निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 के अध्याय 44 में यथा–विनिर्दिष्ट अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से लिए गए लट्ठे के रूप में, जड़ रूप में, और मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में रेड सैंडर्स वुड के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्यातकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली शर्तों और प्रक्रियाओं को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करते हैं।

2. अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से लिए गए रेड सैंडर्स वुड के लिए डीजीएफटी से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निबंधन और शर्तें तथा प्रक्रिया निम्नानुसार होंगीः

(क) भारतीय सीआईटीईएस प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से लिए गए रेड सैंडर्स वुड के निर्यात के लिए 310 मीट्रिक टन (आंध्र प्रदेश के लिए 250 मीट्रिक टन और तमिलनाडु के लिए 60 मीट्रिक टन) के वार्षिक कोटे की अनुशंसा की है;

(ख) वार्षिक कोटा वर्ष 2017–18 से प्रभावी है;

(ग) एनडीएफ अध्ययन या सरकारी एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर एमओईएफ एंड सीसी द्वारा वार्षिक कोटे की समीक्षा की जा सकती है;

(घ) चूंकि वर्ष 2017–18 के लिए नियत कोटे का उस वर्ष के दौरान निर्यात नीति नहीं होने के कारण निर्यात नहीं किया जा सका, इसलिए कुल 620 मीट्रिक टन की मात्रा 2018–19 (31.03.2019 तक) के लिए उपलब्ध होगी;

(ड.) भावी निर्यातक 'नीतियां' शीर्षक के तहत डीजीएफटी की वेबसाइट पर उपलब्ध व्यापार सूचना सं. 35 दिनांक 25–10–2018 के अनुसार export-dgft@nic.in पर ई–मेल के माध्यम से डीजीएफटी (मुख्यालय) से निर्यात लाइसेंस मांगने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं;

(च) प्रत्येक आवेदन ई–मेल के माध्यम से एमओईएफ एंड सीसी (एसयू डिवीजन) को उनके 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' (एनओसी)/टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया जाएगा और तत्पश्चात् इसे डीजीएफटी में एक्जिम सुगमीकरण समिति (ईएफसी) के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा;

(छ) वर्ष 2018–19 के लिए विधिवत रूप से भरे गए आवेदन (अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में) पर डीजीएफटी में एमओईएफ एंड सीसी द्वारा प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर विचार किया जाएगा और मात्रा का आवंटन ईएफसी द्वारा इसके द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा;

(ज) निर्यात लाइसेंस मांगने सम्बन्धी आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए:–

लट्ठे रूप में और जड़ों के रूप में रेड सैंडर्स के निर्यात के लिए:–

(i) **एएनएफ–2ढ़** में आवेदन (प्रतिबंधित मदों के लिए निर्यात लाईसेंस हेतु फार्म):

(ii) **एएनएफ–1** (निर्यातक और आयातक की प्रोफाइल)

(iii) **आईईसी** (आयातक निर्यातक कोड) की एक स्व प्रमाणित प्रति

(iv) सम्बन्धित फर्म द्वारा प्राप्त निर्यात आर्डर:

(v) मद की खरीद का ब्यौरा अर्थात् मात्रा, विधिक स्रोत आदि;

(vi) आवेदक के पास खरीदे गए स्टॉक की वर्तमान स्थिति तथा उपलब्धता के बारे में स्टॉक के भौतिक सत्यापन के पश्चात् पीसीसीएफ द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र

(vii) सम्बन्धित पीसीसीएफ द्वारा (निर्धारित प्रपत्र में) जारी उद्गम प्रमाण–पत्र (सीओओ) की अभिप्रमाणित प्रतियां (व्यापार सूचना सं. 35 दिनांक 25.10.2018);

(viii) प्रस्तावित निर्यात के लिए संबंधित राज्य के पीसीसीएफ द्वारा जारी मदों की लॉग सूची।

रेड सैंडर्स के मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए

(i) समान शर्तें जैसा कि ऊपर क्रम सं. (i) से (viii) में है;

(ii) वन विभाग/पीसीसीएफ द्वारा नामित सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट;

(iii) वन विभाग/पीसीसीएफ द्वारा नामित संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित रेड सैंडर्स के मूल्य वर्धित उत्पादों के मदों, संख्या और रंगीन फोटोग्राफों की सूची;

(iv) फर्म की ओर से यह अंडरटेकिंग जिसमें उल्लेख किया गया हो कि निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित मदें क्रम सं. 189 अध्याय 44, अनुसूची 2 के तहत विनिर्दिष्ट आकारों और विनिर्देशनों के अनुसार हैं।

रेड सैंडर्स वुड के निर्यात के लिए स्रोत स्थान/अन्य राज्य के पीसीसीएफ और एचओएफएफ से उद्गम प्रमाण–पत्र (सीओओ) प्राप्त करने के लिए

(i) आवेदक/निर्यातक को उदगम प्रमाण–पत्र (सीओओ) जारी किए जाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर उपलब्ध डीजीएफटी की व्यापार सूचना सं. 35 दिनांक 25.10.2018 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार स्रोत/निर्यात करने वाले, जैसा लागू हो, राज्य के प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (पीसीसीएफ) और वन बल प्रमुख (एचओएफएफ) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा;

(ii) यदि मद का निर्यात स्रोत राज्य (आंध्र प्रदेश अथवा तमिलनाडू) के आलावा किसी राज्य से किया जाना प्रस्तावित है तो अन्य राज्यों को मद (मदों) के हस्तांतरण हेतु स्रोत राज्य के वन विभाग से अपेक्षित अनुमति, ट्रांजिट पास इत्यादि को पीसीसीएफ को किए जाने वाले आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।

(iii) ऐसे मामलों में 'अन्य' राज्य का पीसीसीएफ, इस प्रयोजन के लिए पीसीसीएफ द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा यथा–सत्यापित दस्तावेजों जैसे मद का वैध स्रोत, 'स्रोत' राज्य से मद के अंतरण हेतु अनुमति/ट्रांजिट पास, आवेदक के पास उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति के आधार पर सामग्री के उद्गम को विधिवत रूप से सत्यापन करने के बाद उद्गम प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(iv) यदि लटठों अथवा जडों का निर्यात किया जाता है तो स्रोत राज्य अथवा अन्य राज्य, जैसा लागू हो, का पीसीसीएफ मदों की लाग सूची के साथ एमओईएफ एवं सीसी मंत्रालय द्वारा परिचालित निर्धारित प्रपत्र में उदगम प्रमाण—पत्र (सीओओ) जारी करेगा। [प्रपत्र की प्रति डीजीएफटी की व्यापार सूचना सं. 35, दिनांक 25.10.2018 पर उपलब्ध है]

3. निर्यातकों से प्राप्त आवेदनों पर डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा एमओईएफ एंड सीसी के साथ उनके अनापत्ति प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में परामर्श से विचार किया जाएगा, बशर्ते कि आवेदक ऊपर पैरा 2 (डीजीएफटी द्वारा एमओईएफ एंड सीसी के परामर्श से समय—समय पर यथा—संशोधित) में यथा—विहित सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सभी शर्तों को पूरा करें।

4. आवेदनों पर गुण—दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। इस उद्देष्य से निम्नलिखित मानदंडों का अनुसरण किया जाएगाः—

(i) विधिवत रूप से भरा गया आवेदन (अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में) डीजीएफटी की व्यापार सूचना सं. 18/2015—20 दिनांक 20.06.2018 के अनुसार **पीडीएफ फार्मेट** में ई—मेल के माध्यम से export-dgft@nic.in पर भेजा जाना चाहिए **(https://bit.ly/2R4Odj0)**;

(ii) export-dgft@nic.in पर ई—मेल के माध्यम से आवेदन फाइल करने की तारीख और समय योग्यता पर विचार करने के लिए मानदंड होगा;

(iii) डाक/कूरियर या किसी अन्य माध्यम से डीजीएफटी में सम्बन्धित मद के लिए प्रतिबंधित निर्यात लाइसेंस मांगने सम्बन्धी आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iv) समुचित/पूरे दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों के लिए नामित ई—मेल पर **पीडीएफ फार्मेट** में पूरे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तिथि से प्राथमिकता की गिनती की जाएगी।

5. सभी प्रतिबंधित मदों के आवेदनों की स्थिति 'निर्यातक सुगमीकरण'—प्रतिबंधित लाइसेंस आवेदन स्थिति—गैर—स्कोमेट निर्यात लाइसेंस शीर्षक के तहत डीजीएफटी की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर अद्यतन की जाएगी।

6. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव

निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 के अध्याय 44 के तहत अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से लिए गए लट्ठे रूप, जड़ और मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में रेड सैंडर्स वुड के निर्यात के लिए डीजीएफटी से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया विहित की गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th February, 2019

No. 74 /2015-20

Subject:- Export Policy of Red Sanders wood exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland) – Procedure to obtain export license regarding.

No. 01/91/180/03/AM-19/EC.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy(FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby specifies the conditions and procedures, as under, to be followed by the exporters, for obtaining export license for export of Red Sanders wood in log form, roots and value added products exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland), as specified under Chapter 44 of ITC(HS) Classification of Export and Import, in Items 2018 in terms of revised export policy notified vide Notification No. **56/** 2015-20 dated 18th February, 2019.

2. The terms & conditions and procedure for obtaining export license from DGFT for export of Red Sanders wood exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland) shall be as follows:

(a) As per the recommendation of CITES Management Authority India, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MOEF&CC) has recommended an yearly quota of 310 MT (250 MT for Andhra Pradesh and 60 MT for Tamil Nadu), for export of Red Sanders wood exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland);

(b) The yearly quota is effective from the year 2017-18;
(c) The yearly quota may be reviewed by the MOEF&CC based on NDF study or recommendations of the Government agencies;
(d) As the quota fixed for year 2017-18 could not be exported during that year in absence of the export policy, total 620 MT quantity shall be available for 2018-19 (till 31.03.2019);
(e) Prospective exporters shall submit their application seeking export license from the DGFT (Hqrs) through email at: export-dgft@nic.in in terms of Trade Notice No. 35 dated 25.10.2018 available on the website of DGFT under heading captioned 'Polices';
(f) Each application shall be forwarded to MOEF&CC (SU Division) through email for their 'No Objection Certificate' (NOC) / comments and thereafter placed before the Exim Facilitation Committee (EFC) in DGFT for its consideration;
(g) For the year 2018-19, duly filled in application (in prescribed proforma with requisite documents) shall be considered in DGFT on the basis of NOC granted by MOEF&CC and quantity shall be allocated by the EFC as per the criteria laid down by it;
(h) The application for seeking export license shall be accompanied with the following documents:-

For export of red sanders in log form and roots:-

(i) Application in **ANF-2N** (form for export license for restricted items);
(ii) **ANF-1** (Profile of Exporter & Importer)
(iii) A self certified copy of IEC (Importer Exporter Code)
(iv) Export Order received by the concerned firm.
(v) Details of procurement of item i.e. quantities, legal source etc.
(vi) A certificate of the current position of stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF;
(vii) Attested copies of Certificate of Origin (COO) issued by the concerned PCCF (in prescribed proforma) (Trade Notice No. 35 dated 25.10.2018)**;**
(viii) Log list of the items issued by the PCCF of the concerned State for proposed exports.

F**or export of value added products of red sanders**:-

(i) Same documents as specified at Sl. No. (i) to (vii) above;
(ii) Physical Verification Report by the concerned officer designated by the Forest Department/PCCF;
(iii) List of items, number, sizes and coloured photographs of the value added products of red sanders duly certified by the concerned officer designated by the Forest Department/PCCF ;
(iv) An undertaking from the firm stating that the items proposed for export are in terms of sizes and specification specified under Sl. No. 189, Chapter 44, Schedule 2.

For obtaining COO from PCCF & HOFF of source / other State for export of red sanders wood

(i) The applicant/ exporter would require to submit application in prescribed proforma [in terms of proforma specified in DGFT Trade Notice No. 35 dated 25.10.2018 available on the website (www.dgft.gov.in)] before Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) & Head of Forest Force (HOFF) of the source / exporting State, as applicable for issue of Certificate of Origin (COO);
(ii) In case the item is proposed to be exported from a State other than the source State (Andhra Pradesh or Tamil Nadu), requisite permission of the Forest Department of the source State, Transit pass etc. for transfer of the item (s) to other states, to be attached alongwith the application to be made with the PCCF;
(iii) In such cases, the PCCF of the 'other' State shall issue the COO after duly verifying the origin of the material on the basis of documents such as legal source of the item, permission / transit pass for transfer of the item from 'source' state, current position of stocks available with the applicant as verified by the authority nominated for the purpose by the PCCF;
(iv) The PCCF of the 'source' state or the 'other' state, as applicable shall issue COO in prescribed proforma circulated by the MOEF&CC alongwith log list of the items, in case logs or roots are exported [a copy of the proforma is available in DGFT Trade Notice No. 35 dated 25.10.2018].

3. Applications received from the exporters would be considered by the DGFT(Hqrs) in consultation with the MOEF&CC for their NoC/ comments, subject to fulfilment of all conditions alongwith all requisite documents, as prescribed at para 2 above (as may be amended from time to time by the DGFT in consultation with MOEF&CC).

4. The applications shall be considered on merits. The following criteria will be followed for the purpose :

(i) Duly filled in application (in prescribed proforma alongwith the requisite documents) are to be sent through email at export-dgft@nic.in in **PDF format** in terms of DGFT Trade Notice No. 18/2015-20 dated 20.06.2018 (https://bit.ly/2R4Odj0);

(ii) The date and time of filing of applications through email at export-dgft@nic.in would be the criteria for considering the merit;

(iii) The applications, seeking restricted export license of the subject item, received through post / courier or any other mode in DGFT (Hqrs) will not be entertained;

(iv) The applications, which are received without proper / complete documents, the priority shall be counted from the date of submission of complete documents in **PDF format** at designated email.

5. The status of applications of all 'Restricted' items will be updated time to time on the DGFT website (www.dgft.gov.in) under heading captioned 'Exporter Facilitation' – Restricted Licenses Application Status – Non-SCOMET Export License.

6. **Effect of this Public Notice:**

Procedure to obtain export license from DGFT for export of Red Sanders wood in log form, roots and value added products exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland) under Chapter 44 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items 2018 has been prescribed.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade, Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.02.20 16:03:50 +05'30'